प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दोषमुक्ति अपील संख्या 1174/2024
11.03.2025 को निर्णय सुरक्षित
19.03.2025 को निर्णय पारित

वीणा देवी अग्रहरि (बीनादेवी), पति संजय कुमार अग्रहरि,
उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम चिर बगीचा, थाना जशपुर
जिला - जशपुर (छ.ग.)

----अपीलार्थी

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी
   थाना तमनार, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
2. अभिषेक गुप्ता, पिता शादीलाल गुप्ता, उम्र लगभग 28 वर्ष,
3. शादीलाल गुप्ता, पिता स्वर्गीय सुंदरलाल गुप्ता, उम्र लगभग 58 वर्ष,
4. श्रीमती संजू गुप्ता, पति शादीलाल गुप्ता, उम्र करीब 51 वर्ष,
5. अविनाश गुप्ता, पिता शादीलाल गुप्ता, उम्र करीब 24 वर्ष,

   क्रमांक 2 से 5 निवासी ग्राम गोढ़ी, थाना तमनार, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

----उत्तरवादी

अपीलकर्ता के लिए:
सुश्री पुष्पा द्विवेदी, अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्री आर.एस. मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल एवं
माननीय न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल
सी ए वी निर्णय

प्रति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश

ग्राह्यता पर सुना गया।

1. अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दोषमुक्त अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छ.ग. द्वारा पारित दिनांक 21.11.2014 के निर्णय से उत्पन्न हुई है। सत्र परीक्षण सं. 36/2024 में, जिसके अधीन विद्वान परीक्षण न्यायालय ने संदेह के लाभ के आधार पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 304-बी सहपठित 34 के अधीन आरोप से आरोपी /उत्तरवादी संख्या 2 से 5 को दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि मृतक प्रियंका गुप्ता की मां अ.सा.-21 वीना देवी अग्रहरि ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी/मृतक प्रियंका गुप्ता का विवाह उत्तरवादी संख्या 1 अभिषेक गुप्ता के साथ 09.12.2023 को हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही मृतका प्रियंका गुप्ता अपने ससुराल आ गई और कुछ दिनों बाद जब उसकी बेटी/मृतका अपने ससुराल वालों से कुछ मांगती तो वे उसे अपने पिता से कहने को कहते और पैसे और किराने का सामान लाने के लिए भी मजबूर करते थे। यह भी आरोप है कि जब भी उसकी बेटी/मृतका बाहर जाती थी तो उसे अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर किया जाता था और इसी तरह जब भी उसके ससुराल वाले बाहर जाते थे तो उसे घर के अंदर बंद कर देते थे। यह भी आरोप है कि उसकी बेटी/मृतका इस डर में रहती थी कि उसके ससुराल वाले उसे मार देंगे। आगे आरोप यह है कि उसके ससुराल के सभी परिवार के सदस्य उसकी बेटी/मृतका को अधिक पैसे लाने के लिए कहते थे और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे साड़ी पहनने के लिए मजबूर करते थे। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) के आधार पर आरोपीगण/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के विरूद्ध प्राथमिकी (प्रदर्श पी-20) दर्ज की गई है। तत्पश्चात, प्रदर्श पी-16 द्वारा मर्ग सूचना दर्ज की गई तथा

प्रदर्श पी-3 द्वारा जांच कार्यवाही की गई तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जहां अ.सा.-19 डॉ. ए.के. मिंज ने पोस्टमार्टम किया तथा प्रदर्श पी-17 द्वारा अपनी रिपोर्ट दी। अ.सा.-19 डॉ. ए.के. मिंज के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण अज्ञात कारण से हृदय गति रुकना बताया गया तथा रासायनिक जांच कराने की सलाह दी गई। जांच के दौरान प्रदर्श पी-13 द्वारा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। मौके से रेडमी कंपनी का एक मोबाइल फोन तथा मृतक की साड़ी प्रदर्श पी-6 द्वारा जब्त की गई। एक नीला दुपट्टा (चुनरी) और अन्य सामान प्रदर्श पी-14 के अधीन जब्त किया गया और आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच पूरी करने के बाद, आरोपियों/प्रतिवादियों के विरुद्ध संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष आईपीसी की धारा 304-बी के साथ 34 के अधीन आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपी व्यक्तियों/प्रतिवादियों नंबर 2 से 5 ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया है और विचारण चाहा है।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए अपने मामले के समर्थन में 25 गवाहों की जांच की और उत्तरवादी सं. 2 से 5/आरोपी व्यक्तियों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले 35 दस्तावेज पेश किए। यद्यपि, अपने बचाव में उत्तरवादी सं. 2 से 5/आरोपी व्यक्तियों ने दो गवाहों यानी ब.सा.-1 अभिषेक गुप्ता और ब.सा.-2 योगेश कुमार गुप्ता की जांच की, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।

5. विचारण न्यायालय ने पक्षों के वकीलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर मौजूद सबूतों की विवेचना करने के बाद, आक्षेपित फैसले द्वारा आरोपी व्यक्तियों/उत्तरवादी सं. 2 से 5 को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

6. अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्तियों/उत्तरवादी सं. 2 से 5 को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करने में पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवाह के दो महीने बाद मृतका की मृत्यु उत्तरवादी संख्या 2 से 5 द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के कारण हुई और इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किए बिना अभियुक्तों/उत्तरवादी संख्या 2 से 5 को दोषमुक्त करने में गंभीर गलती की है। इस प्रकार, दोषमुक्त करने का आक्षेपित निर्णय विकृति और अवैधता से ग्रस्त है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने अपीलकर्ता के साथ-साथ राज्य के वकील के विद्वान वकील को भी सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. जफरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य [(2022) 8 एससीसी 440] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने में रिपोर्ट की है कि दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश है, जो इस प्रकार है:-

> 25. धारा 378 दं.प्र.सं. का हवाला देकर दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है, खासकर जब अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो। इसका कारण यह है कि दोषमुक्त किए जाने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को बढ़ाता है। इस प्रकार, अपीलीय अदालत को दोषमुक्त किए जाने के विचारण न्यायालय के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमी

गति से काम करना पड़ता है। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती बल्कि मजबूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों पर गहन जांच करके ही तोड़ा जा सकता है।"

10. धारा 304-बी के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" उसे "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। धारा 304-बी आईपीसी और धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों के संबंध में, यह न्यायालय के. प्रेमा एस. राव बनाम यदला श्रीनिवास राव[1] और कलियापेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य[2] में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का संदर्भ लेना चाहता है।

12. के. प्रेमा एस. राव (पूर्वोक्त) में यह निम्नानुसार माना गया है:-

"16. ... धारा 304-बी आईपीसी के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' उसे 'दहेज की मांग के संबंध में' क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

13. कलियापेरुमल (पूर्वोक्त) में प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"5. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी का

1(2003) 1 SCC 217
2(2004) 9 SCC 157

संयुक्त वाचन दर्शाता है कि यह दर्शाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को निरस्त करना होगा ताकि इसे 'सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु' के दायरे में लाया जा सके। 'जल्द से जल्द' अभिव्यक्ति बहुत प्रासंगिक है, जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी लागू होती है। अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उस मामले में ही अनुमान लागू होता है। अभियोजन पक्ष को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। 'जल्द से जल्द' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से ठीक पहले की अवधि क्या होगी, इसके बारे में कोई सीधा-सादा फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। कोई निश्चित अवधि बताना खतरनाक होगा और इससे दहेज हत्या के अपराध के सबूत के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के अधीन अनुमान लगाने के लिए निकटता परीक्षण का महत्व सामने आता है। आईपीसी की मूल धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मृत्यु से ठीक पहले' निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई है और अभिव्यक्ति 'मृत्यु से ठीक पहले' परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत (ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मृत्यु से ठीक पहले' का संदर्भ प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय यह मान सकता है कि चोरी के तुरंत बाद माल पर कब्जा करने वाला व्यक्ति या तो चोर है जिसने माल को चोरी होने के बारे में जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके। 'जल्द से जल्द' अवधि के भीतर आने वाली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना है। यद्यपि, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि 'जल्द से जल्द' अभिव्यक्ति का सामान्य रूप से यह अर्थ होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और संबंधित मृत्यु के बीच अंतराल बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय में दूर की है और संबंधित महिलाओं के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब प्रश्न यह है कि क्या अपराध का एक घटक यह स्थापित होता है कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका को दहेज की मांग के संबंध में अभियुक्तों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या नहीं?

15. मृतका के पिता अ.सा.-7 संजय अग्रहरि ने बताया कि दिनांक 18.02.2024 को लगभग 12:00 बजे उनकी पत्नी/अ.सा.-21 ने उन्हें दूरभाष पर सूचना दी कि उत्तरवादी संख्या 4 श्रीमती संजू गुप्ता ने उन्हें फोन कर बताया कि मृतका प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं है, इस पर वे अपनी पत्नी के साथ मृतका के ससुराल पहुंचे और आरोपियों से पूछा तो आरोपियों ने बताया कि मृतका की साड़ी पर मसाला गिर गया था, जिसे बदलने के लिए वह ऊपर गई है। तब उन्होंने वास्तविक तथ्य पूछे, जिस पर आरोपीगण अविनाश गुप्ता और अभिषेक गुप्ता नाराज हो गए और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। कुछ देर बाद पुलिस आई और कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हस्ताक्षर करने को कहा, तब उन्हें पता चला कि मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यद्यपि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके

अलावा, मृतक के पिता अ.सा.-1 ने यह भी कहा है कि उत्तरवादी संख्या 1 अभिषेक के साथ मृतक की शादी से पहले, उत्तरवादी संख्या 3 शादीलाल गुप्ता 17-18 व्यक्तियों के साथ प्रियंका/मृतका को देखने के लिए उसके घर आए और शादी के लिए 5,00,000/- रुपये दहेज की मांग की, जिसके कारण उनकी शादी तय नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद, उत्तरवादी संख्या 3- शादीलाल गुप्ता और उत्तरवादी संख्या 4- श्रीमती के प्रयासों से। संजू गुप्ता, मृतका एवं उत्तरवादी सं. 1- अभिषेक गुप्ता की शादी तय हुई थी तथा दिनांक 22.05.2023 को उनकी सगाई हुई थी तथा सगाई के कुछ दिन पश्चात उत्तरवादी सं. 3 शादीलाल गुप्ता ने उसे फोन कर शादी के लिए 2,00,000/- रूपये की मांग की तथा तत्पश्चात उसने उक्त धनराशि उत्तरवादी सं. 3 शादीलाल गुप्ता के खाते में स्थानांतरित कर दी। तत्पश्चात दिनांक 09.12.2023 को मृतका एवं उत्तरवादी सं. 1 अभिषेक की शादी हुई तथा शादी के पश्चात जब मृतका-प्रियंका अपने मायके आई तो उसने बताया कि उसकी सास/उत्तरवादी सं. 3 उसे कम दहेज लाने के लिए परेशान करती थी तथा उसे खाना नहीं देती थी तथा अपने पिता से पैसे लाने को कहती थी, यद्यपि उपरोक्त तथ्यों का भी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि विवाह के समय वह 50-55 व्यक्तियों के साथ अपनी पुत्री/मृतका का विवाह सम्पन्न कराने गोड़ी गांव गया था, जहां अभियुक्तगणों ने विवाह की सभी तैयारियां की थीं, जैसे हॉल, कैटरिंग, लाइट और डीजे आदि की व्यवस्था। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि उसने अपनी पुत्री/मृतका का विवाह जशपुर में किया होता, तो कैटरिंग, लाइट और डीजे की व्यवस्था अवश्य की होती। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने (अ.सा.-1) विवाह की व्यवस्था के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 शादीलाल गुप्ता को 2,00,000/- रुपए दिए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तरवादी संख्या 3 शादीलाल गुप्ता के विरुद्ध 2,00,000/- रूपये दहेज की मांग के संबंध में किसी भी पुलिस थाने या समुदाय में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तथा आगे यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगणों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्तगण उनकी पुत्री/मृतका को कहीं भी जाने तथा अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब पहली बार अभियुक्तगण उनकी पुत्री/मृतका को विवाह के लिए देखने उनके घर आये थे, तो उन्होंने उनसे 5,00,000/- रूपये की मांग की थी, तथापि, उक्त तथ्यों का उल्लेख उनके पुलिस कथन प्र.डी-1 में नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगणों ने उनके साथ कोई मार-पीट नहीं की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना से पूर्व उन्होंने दहेज की मांग के संबंध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने या समुदाय में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

16. इसके अतिरिक्त मृतका की माता अ.सा.-21 वीना देवी अग्रहरि ने बताया कि उसकी पुत्री/मृतका की शादी के समय अभियुक्तगणों द्वारा 5,00,000/- रूपये की मांग की गई थी, तथापि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-19) में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शादी के कुछ दिन पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा 2,00,000/- रूपये, सोने की चैन व सोने की अंगूठी की मांग की गई, तत्पश्चात शादी के समय उन्होंने उत्तरवादी संख्या 2 अभिषेक को सोने की चैन व सोने की अंगूठी दी। उन्होंने यह भी बताया कि शादी के पश्चात जब पुत्री/मृतका अपने मायके आई थी, तब उसने बताया था कि उसकी सास/उत्तरवादी संख्या 4 उसे कम दहेज लाने के लिए ताना मारती थी तथा अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित भी करती थी तथा उसे खाना भी नहीं देती थी। उसने यह भी कहा है कि उसकी बेटी/मृतक ने उसे बताया कि आरोपियों ने उसके साथ झगड़ा किया और उस पर 50,000 रुपये लाने का दबाव बनाया और उसे धमकाया भी। उसने यह भी कहा है कि मारपीट के कारण उसकी बेटी/मृतक के शरीर पर चोटें आई हैं, यद्यपि उसके द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) और प्राथमिकी (प्रदर्श पी-20) में, शादी के बाद आरोपियों द्वारा दहेज की मांग के संबंध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में कोई शिकायत नहीं लिखी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि शादी की सारी व्यवस्था आरोपियों ने खुद की थी। यद्यपि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी उसकी बेटी/मृतक के साथ मारपीट करते थे, उसे ताने मारते थे और दहेज लाने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन इन तथ्यों का उल्लेख उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-3 में नहीं किया गया था।

17. इसी प्रकार मृतक के मामा अ.सा.-1 संतोष प्रसाद ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना दिनांक 18.02.2024 को मृतका ने अपनी मां/अ.सा.-21 से बात की थी तथा उसे केवल शादी की तस्वीरों के बारे में बताया था। उसने आगे स्वीकार किया कि यद्यपि वह अपनी बहन/अ.सा.-21 से बात करता था, लेकिन उसने अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसे कुछ नहीं बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त के अतिरिक्त अ.सा.-13 शत्रुघ्न सिंह श्याम, वैज्ञानिक अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसे मृतका के गले पर फांसी के कारण लगी चोट के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं मिली। इसके अलावा अ.सा.-19 ए.के. मिंज, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने आई.न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मृतका की मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या थी। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी माना कि उन्हें मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट या निशान नहीं मिला। उन्होंने न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर यह भी माना कि उन्हें मृतक के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले।

19. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक के पिता अ.सा.-7 संजय कुमार अग्रहरि, मृतक की माता अ.सा.-21 वीना देवी अग्रहरि तथा मृतक के मामा अ.सा.-1 संतोष प्रसाद के कथनों में अभियुक्तगणों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में

10 भौतिक विसंगतियां हैं तथा उनके कथन एक दूसरे, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) तथा उनके पुलिस कथनों (प्रदर्श डी-1 एवं डी-3) से मेल नहीं खाते हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य, निराधार तथा सर्वव्यापी हैं, अतः उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसके अलावा, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-19) में कहीं भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा 50,000/-, 2,00,000/- और 5,00,000/- रुपए की मांग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, अ.सा.-13 शत्रुघ्न सिंह श्याम, वैज्ञानिक अधिकारी और अ.सा.-19 डॉ. ए.के. मिंज, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी, सिवाय फांसी के कारण उसकी गर्दन पर। इसके अलावा, अभिलेख पर कोई भी ठोस और पुख्ता सबूत नहीं है जो आरोपी व्यक्तियों/उत्तरवादी संख्या 2 से 5 की अपराध में मिलीभगत को दर्शाता हो। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की है तथा सम्पूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्तगणों ने मृतका को दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया था तथा अभियुक्तगणों ने मृतका को किसी भी प्रकार से आत्महत्या के लिए उकसाया था, अतः अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतः उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात्, हमारा यह विचार है कि अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 5 को उक्त आरोप से दोषमुक्त करने वाला निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. तदनुसार, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों/उत्तरवादी संख्या 2 से 5 को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध की गई यह अपील, प्रवेश स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

सही/- (संजय एस. अग्रवाल) न्यायाधीश	सही/- (राधाकिशन अग्रवाल) न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

****

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अके तर्कों को सुना है। नुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।